माननीय मुख्य न्यायाधीश एस. पी. कुर्दुकर और एन. के. सोढ़ी, जे. के समक्ष

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,-अपीलकर्ता।

बनाम

नरेंद्र मोहन आर्य, प्रतिवादी।

पत्र पेटेंट अपील संख्या 344 वर्ष1991

16 मार्च 1994.

(भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 12 और 226-कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत बीमा कंपनी ऐसी कंपनी चाहे वह अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य हो। ऐसी कंपनी के खिलाफ रिट याचिका की रखरखाव-सिविल कार्यवाही में दर्ज निष्कर्ष-ऐसे निष्कर्षों की बाध्यकारी प्रकृति।

माना गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षण स्पष्ट रूप से संबंधित बीमा कंपनी पर लागू होते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य है और इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। मैं

(पैरा 18)

इसके अलावा, यह माना गया कि सिविल कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्ष पुनर्न्याय के अनुरूप सिद्धांतों पर काम करेंगे और किसी भी दर पर इसे एक मुद्दे पर रोक के माध्यम से बीमा कंपनी के खिलाफ काम करना होगा। इसके अलावा, पूरी सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को आम तौर पर प्रभावी होना चाहिए।

(पैरा 22)

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. सी. डोगरा, अधिवक्ता सुशील डोगरा के साथ।

प्रतिवादी की ओर से सूर्यकांत, अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एस.पी. कुर्दुकर

(1) यह लेटर्स पेटेंट अपील यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इसके बाद एक®, 'बीमा कंपनी' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर की गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 3232 में निर्णय और आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1991 की शुद्धता को चुनौती दी गई है।

(2) नरिंदर मोहन आर्य, प्रतिवादी (रिट याचिकाकर्ता), वर्ष 1976 में अपीलकर्ता बीमा कंपनी के साथ इंस्पेक्टर ग्रेड-द्वितीय के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने खिलाफ अनुशासनात्मक जांच करने के बाद बीमा कंपनी द्वारा सेवा से हटाने के आदेश की वैधता और शुद्धता को चुनौती देते हुए 1981 की सिविल रिट याचिका संख्या 3232 दायर की। अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के आदेश की पुष्टि की।

(3) याचिकाकर्ता के खिलाफ 11 जनवरी 1978 के आरोप-पत्र (अनुलग्नक 'ए') से रिट याचिका के अनुबंध पी3 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। आरोपों की धाराएँ इस प्रकार पढ़ी गईं

(4) "हांसी के मैसर्स अमन सिंह मुंशी लाल ने 21 अक्टूबर 1976 को हांसी पब्लिक कैरियर यूनियन, हांसी के माध्यम से हांसी से फुलवारी शरीफ के लिए 50 गांठ कपास की एक खेप भेजी।

(5) जब 22 अक्टूबर 1976 को सुबह लगभग 11.45 बजे कपास की उपरोक्त गांठें दिल्ली-गाजियाबाद सीमा पर मैसर्स मिलाप ट्रांसपोर्ट रोडवेज के परिसर में गंतव्य के लिए पड़ी थीं, तो आग लग गई। गठरियाँ जल गईं..

(6) आग लगने के बाद उपरोक्त गांठों के संबंध में बीमा कवर जारी करने के लिए मेसर्स अमन सिंह मुंशी लाल द्वारा या उनकी ओर से संपर्क किए जाने पर और यह जानते हुए कि आग लग गई थी जिसमें उक्त गांठें जल गई थीं , नरिंदर मोहन आर्य ने रा के जोखिम को कवर करते हुए कवर नोट नंबर 09643 जारी किया। उपरोक्त कपास की गांठों के संबंध में एक लाख रुपये, जो यह दर्शाता है कि इसे 21 अक्टूबर, 1976 को जारी किया गया था, भले ही इसे 22 अक्टूबर, 1976 को लगभग 11.45 A.M पर आग लगने के बाद जारी किया गया था।"

(7) अपीलकर्ता बीमा कंपनी के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक की राय में नरेंद्र मोहन आर्य का उपरोक्त कृत्य कदाचार का कृत्य है जो उप-नियम (1), (5) और (20) के अंतर्गत आता है। सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के नियम 4 के (इसके बाद '1975 नियम' के रूप में संदर्भित)।

(8) नरिंदर मोहन आर्य ने आरोपों से इनकार किया. उन्होंने 25 जनवरी 1978/ को एक विस्तृत लिखित बयान दाखिल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीमा कवर नोट 21 अक्टूबर 1976 को जारी किया था, और उन्होंने इसे न तो पूर्व-दिनांकित किया था और न ही आग लगने के बाद इसे तैयार किया था।

(9) उपरोक्त आरोपों के आधार पर, जांच अधिकारी ने जांच की और पार्टियों द्वारा पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद, 5 मई, 1979 की अपनी रिपोर्ट, अनुबंध पी 5 में माना कि बीमा कवर नोट वास्तव में जारी किया गया था। 22 अक्टूबर, 1976 को। यानी, जब बीमाधारक को पता चला कि उसका सामान आग से क्षतिग्रस्त हो गया है, तो नरेंद्र मोहन आर्य के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए और। तदनुसार, जांच अधिकारी ने उन्हें कवर नोट की पूर्व-डेटिंग के आरोप में दोषी ठहराया। इसके बाद मंडल प्रबंधक ने रिट याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया। संभागीय प्रबंधक. दिनांक 24 एमवी के अपने पत्र के माध्यम से। 1979. अनुलग्नक पी6. जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और नरेंद्र मोहन आर्य के कदाचार की गंभीरता को देखते हुए सेवा से हटाने की सजा दी, (अनुलग्नक पी 61 देखें)

(10) 28 अगस्त, 1979 को, याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की, लेकिन 15 अक्टूबर, 1980 को इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, नरिंदर मोहन आर्य ने स्मारक को प्राथमिकता दी, जिसे 23 अप्रैल, 1981 को भी खारिज कर दिया गया। यह कार्रवाई है इल्नश्योरेंस कंपनी, जिसे फरवरी 1981 में किसी समय दायर की गई रिट याचिका में चुनौती देने की मांग की गई थी।

(11) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 21 फरवरी, 1991 द्वारा, रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और नरिंदर मोहन आर्य को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। यह विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश है, "यह वर्तमान पत्र पेटेंट अपील में चुनौती का विषय है।

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश ने मुख्य रूप से बीमा कंपनी, नरिंदर मोहन आर्य और दो अन्य के खिलाफ मेसर्स अमन सिंह मुंशी लाल द्वारा दायर 1978 के मुकदमा संख्या 59 में दर्ज निष्कर्ष पर भरोसा किया है। उस मुकदमे में, अमन सिंह मुंशी लाल ने रुपये के लिए डिक्री के लिए प्रार्थना की है। 1,22,795.64, बीमा कवर नोट दिनांक 21 अक्टूबर, 1976 के आधार पर। उस मुकदमे में एक मुद्दा तय किया गया था कि 'क्या बीमा कवर नोट दिनांक 21 अक्टूबर, 1976 नरेंद्र मोहन आर्य की मिलीभगत से पूर्व दिनांकित था, या यह 21 अक्टूबर, 1976 को निष्पादित किया गया था। विद्वान उप-न्यायाधीश ने 7 अक्टूबर, 1980 को अपने फैसले में कहा कि बीमा कवर नोट नरिंदर मोहन आर्य द्वारा 21 अक्टूबर, 1976 को जारी किया गया था और यह पूर्व-दिनांकित नहीं था। विद्वान उप-न्यायाधीश ने मुकदमे को आंशिक रूप से रुपये की राशि तक सीमित कर दिया। 98,550.16, डिक्री की तारीख से वसूली तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ। बीमा कंपनी ने जिला न्यायालय हिसार में अपील की, मैसर्स अमन सिंह

मुंशी लाल ने भी क्रॉस-आपत्तियां दायर कीं क्योंकि वे ब्याज दर से संतुष्ट नहीं थे। जिला न्यायाधीश ने 4 अक्टूबर, 1982 को अपने फैसले से अपील के साथ-साथ प्रति-आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। बीमा कंपनी ने इस न्यायालय में 1982 की दूसरी अपील संख्या आरएस ए 2530 को प्राथमिकता दी, जिसमें मेसर्स अमन सिंह मुंशी लाल ने भी क्रॉस-आपत्ति को प्राथमिकता दी। दूसरी अपील के साथ-साथ वर्तमान एलपीए पर भी एक के बाद एक सुनवाई की गई और हमारे फैसले और 16 मार्च, 1994 के आदेश के अनुसार, जिन्होंने दूसरी अपील के साथ-साथ प्रति-आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। इस प्रकार, सिविल कार्यवाही में शुद्ध परिणाम, जो मूल रूप से संपार्श्विक थे, पार्टियों के बीच एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है, जिसमें बीमा कंपनी के साथ-साथ नरेंद्र मोहन आर्य भी पक्षकार थे, कि बीमा कवर नोट दिनांक 21 अक्टूबर, 1976 था पूर्व-दिनांकित नहीं है, लेकिन वास्तव में यह 21 अक्टूबर, 1976 को मेसर्स अमन सिंह मुंशी लाल (मुकदमे में वादी) के पक्ष में जारी किया गया था। जैसा कि पहले कहा गया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी.डब्ल्यू.पी. का निपटारा करते समय। 1981 की संख्या 3232। मुख्य रूप से विद्वान उप न्यायाधीश और विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर भरोसा किया गया कि 21 अक्टूबर, 1976 का बीमा कवर नोट पूर्व-दिनांकित नहीं था और यह एक है असली दस्तावेज़. सिविल कार्यवाही में इस निष्कर्ष के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी कि कोई भी असंगत निष्कर्ष नहीं हो सकता है, खासकर जब सिविल कोर्ट ने बीमा कवर नोट की शुद्धता के संबंध में मुद्दे पर फैसला सुनाया हो। सिविल कोर्ट के निष्कर्ष को प्रभावी किया जाना चाहिए, और तदनुसार, उन्होंने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, बीमा कंपनी के अधिकारियों के नरिंदर मोहन आर्य को सेवा से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। इस प्रकार, वर्तमान एलपीए का नेतृत्व किया गया है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की वैधता आरएम शुद्धता को चुनौती दी गई है।

(13) श्री आर. सी. डोगरा, विद्वान इस अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान वकील श्री आर. सी. डोगरा ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है, और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है। . प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, उन्होंने एम. एल. नोहरिया बनाम जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (1) में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। यह निस्संदेह सच है कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक विस्तृत फैसले में कहा है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए न तो एक राज्य है, न ही एक वैधानिक निगम है, जो रिट क्षेत्राधिकार के तहत उत्तरदायी है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226. उक्त निष्कर्षों के समर्थन में, विद्वान प्रभाग। बेंच सभाजीत तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2), परागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम सी.वी. इमामताल (3) में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से समर्थन लेती है। और कैश डिग्री कॉलेज, शामली की कार्यकारी समिति बनाम लक्ष्मी नारायण (4)।

(14) श्री डोगरा ने हमारा ध्यान प्रीतम सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य (5) में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले की ओर भी आकर्षित किया। यह एक ऐसा मामला था जहां पूर्ण पीठ के सामने यह सवाल उठा कि क्या पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है और क्या यह राज्य का साधन है। पूर्ण पीठ ने अजमेर सिंह बनाम रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पंजाब (6) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के पहले के फैसले को आंशिक रूप से संशोधित किया, निर्णय को ध्यान में रखते हुए

(1)-एआईआर. 1979 पी एंड एच 183.

(2) ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1329.

(3) ए.आई.आर. 1969 एस.सी. 1306।

(4) ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 888.

(5) ए.आई.आर. 1982 पी एंड एच 228।

(6) ए.आई.आर. 1981 पी एंड एच 107.

(7) सुप्रीम कोर्ट का पी एंड एच 107 प्रीतम सिंह गल्स मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ ने माना कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी, राज्य का साधन नहीं है और न ही भारत के आईबीबी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक प्राधिकारी है, और इसलिए,उत्तरदायी नहीं है रिट क्षेत्राधिकार के लिए. विद्वान वकील श्री डोगरा ने गुरप्रीत सिंह सिद्धू लुधियाना बनाम पंजाब विश्वविद्यालय (8) में इस न्यायालय के एक अन्य पूर्ण पीठ के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। इस मामले में शामिल बिंदु यह था कि क्या निजी स्वामित्व वाली और निजी तौर पर प्रबंधित गैर-वैधानिक संस्था रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी थी। यह निर्णय प्रीतम सिंह गिल के मामले (सुप्रा) में पहले के निर्णय पर आधारित है। - इन निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वकील ने आग्रह किया कि - बीमा कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी होने के नाते, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी नहीं है, और इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश को रिट याचिका खारिज कर देनी चाहिए थी।

(15) उपरोक्त तर्क का खंडन करते हुए, नरेंद्र मोहन आर्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सूर्यकांत ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी को अपील में इस सबमिशन को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष ऐसी कोई याचिका नहीं ली गई थी। उन्होंने अपील ज्ञापन की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया और आग्रह किया कि बीमा कंपनी ने अपने अपील ज्ञापन में ऐसा कोई आधार नहीं उठाया है। इस तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, वकील ने आग्रह किया कि बीमा कंपनी को इस अपील में एक नया विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(16) हमने अपील के ज्ञापन को ध्यान से देखा है और हमने पाया है कि श्री डोगरा द्वारा उठाए गए विवाद के संबंध में किसी भी तरह की कोई फुसफुसाहट नहीं है। बीमा कंपनी की ओर से दायर लिखित बयान में, यह तर्क दिया गया कि बीमा कंपनी एक सीमित कंपनी है, न कि राज्य या वैधानिक निगम, और। इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं था। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और अपील ज्ञापन का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि बीमा कंपनी की ओर से इस तरह के विवाद पर बहस नहीं की गई थी, बल्कि इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया है और विभिन्न याचिकाओं का विरोध किया है। अन्य आधार.

(17) श्री सूर्यकान्त। हालाँकि, नरिंदर मोहन आर्य की ओर से पेश वकील ने आग्रह किया कि मान लिया जाए कि विवाद उठाया जा सकता है,लेकिन अजय हसिया के मामले (सुओरा) में सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले के मद्देनजर यह अब कोई मायने नहीं रखता। परामर्शदाता

(7) एआईआर. 1981 एस.सी. 407.

(8) ए.आई.आर. 1983 पी एंड एच 70.

आग्रह किया कि रमाना दयाराम शेट्टी बनाम द. में निर्णय लिया जाए। इंटर नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (9), पर सुप्रीम कोर्ट ने अजय हसिया के मामले (सुप्रा) में विचार किया था। इन दोनों निर्णयों पर, सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न परीक्षण निर्धारित किए हैं और इन परीक्षणों के आलोक में, वकील ने आग्रह किया कि बीमा कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य होगी। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीयकृत चार बीमा कंपनियों में से एक है। कंपनी के सभी शेयर विश्वासe और देनदारियों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में स्थानांतरित और निहित हैं। बीमा व्यवसाय पर चार कंपनियों के पक्ष में एकाधिकार बनाया गया है। कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को सार्वजनिक सेवक माना जाता है, अधिग्रहण करने वाली कंपनियों की केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बीमा कंपनी इसे बनाए रखने के लिए सभी परीक्षणों को पूरा करती है। रामांग दयाराम शेट्टी के मामले (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक 'राज्य'। उन्होंने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली (10) मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। सुप्रीम कोर्ट के इस नवीनतम फैसले के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है, वकील ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी राज्य है। श्री सूर्यकांत ने हरभजन सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, बॉम्बे मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी भरोसा किया। (11)। यह एक सीधा मामला था जिसमें सुप्रीम

कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत एक राज्य है और है। रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी।

(18) हमने हमारे सामने उठाए गए तर्कों पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया है और सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों पर गौर करने के बाद,जिनमें से कुछ बाद में प्रीतम सिंह गिल के मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद आए हैं, हमारी राय है कि, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य है, और, इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है। रमना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षण। दयाराम शेट्टी का मामला

(8) ए.एल.आर.. 1979 एस.सी. 1628.

(9) ,!1986 ('(2)5एसएक्स.आर.3 345.

(10) 1984 ज़बकुउर और औद्योगिक मामले, 1597।

मैं

(सुप्रा) और अजय हसिया का मामला (सुप्रा), स्पष्ट रूप से हमारे सामने बीमा कंपनी पर लागू होता है और उसके मद्देनजर हम मानते हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी है।

(19) संयोग से, हम बीमा कंपनी द्वारा उनकी दूसरी अपील में पैरा 5 में लिए गए आधार का भी उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है; -

"अपीलकर्ता भारत सरकार का उपक्रम है और किसी भी अधिकारी का अपीलकर्ता के वित्तीय मामलों में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है।

बीमा कंपनी की ओर से यह स्वीकारोक्ति भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि पक्षों ने दोनों कार्यवाहियों में इस आधार पर मुकदमा चलाया कि बीमा कंपनी भारत सरकार का उपक्रम है और यदि ऐसा है, तो हम नहीं देखते कि बीमा कंपनी कैसे कर सकती है रमाना दयाराम शेट्टी के मामले (सुप्रा) और अजय हसिया के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बच जाएं। इसलिए श्री डोगरा का यह कथन कि बीमा कंपनी रिट क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है, विफल होनी चाहिए।

(20) तब श्री डोगरा द्वारा यह तर्क दिया गया कि सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम, 1975 के तहत सभी अधिकारियों ने समवर्ती रूप से माना कि नरेंद्र मोहन आर्य ने बीमा कवर नोट को 21 अक्टूबर, 1976 से पूर्व दिनांकित किया है। मैसर्स अमन सिंह मुंशी लाई को लाभ पहुंचाने के लिए आपत्ति की गई और नरिंदर मोहन आर्य का उक्त आचरण उक्त फर्म के साथ मिलीभगत में पाया गया। उन्होंने आगे आग्रह किया कि 21 अक्टूबर, 1976 का बीमा कवर नोट एक मनगढ़ंत दस्तावेज है और यह निष्कर्ष अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना के बाद निकाला गया है। ऐसे मामलों में रिट कोर्ट का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है। रिट कोर्ट निष्कर्षों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब यह दिखाया जाए कि कानून के विपरीत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। श्री डोगरा ने यह भी आग्रह किया कि एक बार यह निष्कर्ष दर्ज हो जाए कि नरिंदर मोहन आर्य ने बीमा कवर नोट तैयार किया है, तो एकमात्र उचित सजा सेवा से बर्खास्तगी होगी। सज़ा का आदेश कदाचार के अनुरूप है और रिट कोर्ट को उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(21) इसके विपरीत श्री सूर्यकान्त नरेन्द्र मोहन आर्य की ओर से उपस्थित हुए। तर्क दिया गया कि पार्टियों के बीच और विशेष रूप से प्रतिवादियों के बीच सिविल कोर्ट का निष्कर्ष यह है कि बीमा कवर नोट पूर्व दिनांकित है और इसे 21 अक्टूबर, 1976 को निष्पादित किया गया था, इसे पुनर्न्याय या उसके अनुरूप सिद्धांत के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि किसी भी दर पर उक्त निष्कर्ष को प्रतिवादियों के बीच एक मुद्दे पर रोक लगाना चाहिए और बीमा कंपनी रिट कार्यवाही में इसे दोबारा लागू नहीं कर सकती है। हालाँकि, श्री डोगरा ने तर्क

दिया कि उक्त निष्कर्ष बीमा कंपनी को पुनर्मूल्यांकन के लिए बाध्य नहीं करता है क्योंकि पुनर्निर्णय या मुद्दे पर रोक का सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि रिट कोर्ट को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग लगाना चाहिए था और रिट याचिका को खारिज कर देना चाहिए था।

(22) उपरोक्त तथ्यों पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर, हमारी राय है कि "सिविल कार्यवाही में दर्ज किए गए निष्कर्ष पुनर्निर्णय के अनुरूप सिद्धांतों पर काम करेंगे और किसी भी दर पर इसे बीमा कंपनी के खिलाफ काम करना चाहिए किसी मुद्दे पर रोक। इसके अलावा, पूरी तरह से सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को आम तौर पर प्रभावी होना चाहिए।" मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने नरेंद्र मोहन आर्य की रिट याचिका को अनुमति देकर सही किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिकाकर्ता को दी गई राहत सुसंगत है। यदि हम श्री डोगरा के उस तर्क को स्वीकार करते हैं, तो इससे इस न्यायालय द्वारा बीमा कवर नोट जारी करने की तारीख के संबंध में दो असंगत निष्कर्ष निकलेंगे। ठीक इसी कारण से, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं, परिणामस्वरूप, एलपीए विफल हो जाता है और उसे लागतों के साथ खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके औरकिसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय काअंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा